मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक 340 /स्था/2021 भोपाल, दिनांक 19 Feb 2021

// कार्यालय आदेश //

दिनांक 29 जनवरी 2021 को सम्पन्न राज्य बोर्ड की 156 वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु 2.11 में लिये निर्णय अनुसार बोर्ड के दैनंदिनी कार्यो हेतु नियंत्रण व निष्पादन की समस्त शक्तियाँ सदस्य सचिव, को प्रदाय की जाती है, जिसमें निम्न शक्तियाँ भी विहित होंगी :-

1 बोर्ड में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्वों से कार्य का निर्धारण, वाहन व भवन का आवंटन ।

2 एक समय में स्थानीय बाजार से रूपये बीस हजार मूल्य तक वस्तु की नगद रूप में खरीदी ।

3 बोर्ड की ओर से कार्यशाला/वर्कशॉप में नामांकन एवं बोर्ड की ओर से कार्यशाला/ वर्कशॉप के आयोजन एवं व्यय की स्वीकृति ।

4 बोर्ड की ओर से शासन व अन्य समस्त विभागों व संस्थानों से किये जाने वाले पत्राचार पर अनुमोदन प्रदान करना/पत्राचार करना ।

5 उद्योगों से पत्राचार व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24,25,26, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत् संस्थानों से पत्राचार, उल्लंघन हेतु कारण बताओ/क्लोजर नोटिस इत्यादि जारी करना अन्य विभागों से पत्राचार व जानकारी का प्रदाय ।

6 बोर्ड द्वारा सम्पादित कार्यो को पारदर्शी एवं ऑन लाईन करने हेतु सॉफ्टवेयर लागू करना, सॉफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार संशोधन कराना, उपरोक्त कार्यो के निष्पादन हेतु अधिकारियों के मध्य दायित्व निर्धारण इत्यादि ।

7 माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के समक्ष बोर्ड का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रभारी अधिकारी एवं पेनल अधिवक्ता की सेवायें लिये जाने संबंधी निर्णय लेना ।

Ashok Mishra

(ए0ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव,

पृ0 कमांक 341 /स्था/2021 भोपाल, दिनांक 19 FEB 2021

प्रतिलिपिः-

1 स्टॉफ ऑफीसर, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ

2 समस्त यूनिट हेड, मुख्यालय आंचलिक अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी/प्रयोगशाला प्रभारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

3 नोटिस बोर्ड/गार्ड फाईल/आईटी शाखा/कार्यालय आदेश

(ए0ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव,